



दिनांक: 12 सितंबर 2026

शुद्धिपत्र – भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में मुद्रा सत्यापन व प्रसंस्करण प्रणाली के डिजाइन, आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और क्रियात्मक करने हेतु वैश्विक अनुरोध प्रस्ताव

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुद्रा प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा उक्त विषय पर ई-निविदा संदर्भ संख्या [2026 RBI 285963 1](#) आमंत्रित करते हुए 31 जुलाई, 2026 को अनुरोध प्रस्ताव सीपीपी पोर्टल और आरबीआई वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर प्रकाशित किया गया था एवं [दिनांक 28 अगस्त 2026](#) को शुद्धिपत्र जारी किया था।

2. इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि अनुरोध प्रस्ताव के कुछ खंडों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

क्र संख्या	आरएफपी खंड व पैरा सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
1	निविदा आमंत्रण सूचना पैरा 11	... आवश्यकता की स्थिति में, इंटेग्रेटी पैक्ट या आरएफपी की अन्य शर्तों के अनुसार कोई भी क्षतिपूर्ति महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम के अनुसार ₹500/ या अनुलग्नक XXIV के अनुसार लागू दर वाले स्टैम्प पेपर पर भी प्रदान की जाएगी, और निविदाकार द्वारा भी अपने स्तर पर इसकी पुष्टि की जाएगी।	... आवश्यकता की स्थिति में इंटेग्रेटी पैक्ट या आरएफपी की अन्य शर्तों के अनुसार कोई भी क्षतिपूर्ति आरएफपी के पैरा 39 के अनुसार होगी।
2	अनुलग्नक XVII प्रस्तुत की जाने वाली जांच सूची	पेशेवर दायित्व बॉन्ड – अनुलग्नक XXIV	यह दस्तावेज़ टेक्निकल बिड की प्रस्तुति/अर्हता मापदंडों के मूल्यांकन पर आधारित जांच-सूची का हिस्सा नहीं होगा।
3	अनुलग्नक XXIV	पेशेवर दायित्व बॉन्ड	इस दस्तावेज़ को जमा करने की आवश्यकता अब नहीं है।

आरएफपी की सभी अन्य प्रावधान और नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं।

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
मुद्रा प्रबंध विभाग